संख्या-5/2015/ए-1-270/दस-2015-10(28)/2011

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक - 31 मार्च, 2015**

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4/2015/ए-1-259/दस-2015-10(28)/2011, दिनांक 26 मार्च, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों में अति आवश्यक भुगतानों से सम्बन्धित देयक दिनांक 30 मार्च, 2015 तक कोषागारों में अभी भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं।

2- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल विलम्बतम् **दिनांक 31 मार्च, 2015 तक** अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें। कोषागार उक्त तिथि तक प्राप्त बिलों के सापेक्ष उनकी जाँच कर आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अविलम्ब टोकन नम्बर जारी करेंगे एवं आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा ई-पेमेण्ट के लिये ट्रान्जेक्शन फाइल को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये, जिससे कि कोषागारों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2015 तक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर बिलों की जाँच कर ई-पेमेण्ट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-5/2015/ए-1-270 (1)/2015-10(28)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

5- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001.

6- क्षेत्रीय महाप्रन्धक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्र महाप्रबन्धक सचिवालय, नया भवन प्रथम तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001.

7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

धीरज पाण्डे

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।